"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च 2014—फाल्गुन 23, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2014

क्रमांक ई-1-04/2014/एक/2.—डॉ. दुर्गेश चंद्र मिश्रा, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1991), सचिव, मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

डॉ. मिश्रा के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत् संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

2. श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1992), सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, लोक शिक्षण को केवल आयुक्त-सह-संचालक, लोक शिक्षण के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

3. श्री एम. एस. परस्ते, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2000), आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम तथा संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के केवल संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

4. श्री एल. एस. केन, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2000), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री एन. के. खाखा, भा.प्र.से. (2000), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर, संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छ.ग. रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, ग्रामोद्योग विभाग पदस्थ करते हुये प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर, संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छ.ग. रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

6. सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2003), मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, लोक शिक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

7. श्री एस. एन. राठौर, रा.प्र.से. (1994), संयुक्त सचिव, वन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद पदस्थ किया जाता है.

8. श्री नरेन्द्र दुग्गे, रा.प्र.से. (1994), जिन्हें विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 06-02-2014 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद के पद पर पदस्थ किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उपायुक्त, विकास, दुर्ग पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक ई-1-04/2014/एक/2.—विभागीय आदेश क्र. एफ-1/03/भापुसे/एक-14/2012, दिनांक 24-01-2014 द्वारा श्री हिमांशु गुप्ता, भा.पु.से. (1994) की सेवायें तकनीकी शिक्षा विभाग को संचालक, तकनीकी शिक्षा के पद पर पदस्थ करते हुये लाईवहुड कॉलेज स्थापना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.

चूंकि संचालनालय तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय के नाम से ही कार्य संपादित करता है. अतः उक्त आदेश को स्पष्ट किया जाता है कि श्री हिमांशु गुप्ता, भा.पु.से., संचालक, तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ संचालक, रोजगार प्रशिक्षण व जनशक्ति नियोजन के प्रभार में भी होंगे.

2. कंडिका-1 अनुक्रम में श्री संतोष कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. (टी. एन. : 2000), को पदेन विशेष सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग एवं संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण व जनशक्ति नियोजन के प्रभार से मुक्त होना माना जावे.

नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 1-3/2010/एक-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा कॉलम नं. 2 में उल्लेखित मुख्य वन संरक्षक स्तर के भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतनमान "HAG रुपये 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि 3%)-79000" में पदोन्नत करते हुए कॉलम

नं. 4 में उल्लेखित पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना (4)
1.	श्री के. सी. यादव (1984)	मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर.
2.	श्री कौशलेन्द्र सिंह (1985)	प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/गैर-राजपत्रित).
3.	श्री पी. सी. मिश्रा (1985)	सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
4.	श्री आर. के. डे (1985)	मुख्य वन संरक्षक, विकास/योजना	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी)
5.	श्री के. सी. किस्कू (1985)	मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानिटरिंग और मूल्यांकन)

2. प्रतिनियक्ति में पदस्थ भारतीय वन सेवा के अधिकारी, यदि संवर्ग में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं अथवा बंद लिफाफा खोला जाता है, तो ऐसी स्थिति में संवर्ग के कनिष्ठतम अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पदावनत किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2014

क्रमांक एफ-1-03/2013/एक-14/भापुसे.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक I-14011/20/2013-आंईपीएस.I (II) दिनांक 07 फरवरी 2014 के द्वारा राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें, उनके नाम के सम्मुख कालम नं.-5 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	जन्म तिथि (3)	भा.पु.से. में नियुक्ति दिनांक (4)	पदस्थापना (5)
1.	श्री बी. एस. ध्रुव	30-04-1964	07 फरवरी 2014	सेनानी 8वीं वाहिनी छसबल, राजनांदगांव (छ.ग.)
2.	श्री टी. एक्का	07-05-1962	07 फरवरी 2014	पुलिस अधीक्षक, पी.टी.एस., राजनांदगांव (छ.ग.)
3.	श्री डी. के. गर्ग	23-11-1966	07 फरवरी 2014	पुलिस अधीक्षक (रेडियो) भिलाई जोन, भिलाई (छ.ग.)
4.	श्री बालाजी राव सोमावार	28-04-1970	07 फरवरी 2014	सेनानी 3री वाहिनी छसबल अमलेश्वर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2014

क्रमांक/एफ 1/01/2014/1-15.—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर के आदेश क्रमांक/प्रशा./राज./02, दिनांक 03-01-2014 द्वारा श्री अभय कुमार श्रीवास्तव, भा.व.से. (2002), वनमंडलाधिकारी, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वन मंडल, रायपुर को वनमंडलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, रायपुर का चालू प्रभार सौंपा गया है. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश का अनुमोदन करता है.

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2014

क्रमांक एफ-1-03/2012/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमरेश मिश्रा, भापुसे (2005) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2014

शुद्धि पत्र

क्रमांक ई-01-04/2014/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-01-2014 की कंडिका-7 में श्री प्रसन्ना आर, (सी.जी.-2004) कलेक्टर, सरगुजा को संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय पदस्थ किया गया है. श्री प्रसन्ना की पदस्थापना संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के स्थान पर "उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2014

क्रमांक/एफ-1-10/2001/1-15.—श्री शिरीष चंद्र अग्रवाल, प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड को दिनांक 10-02-2014 से दिनांक 19-02-2014 तक कुल 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 08 एवं 09 फरवरी 2014 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शिरीष चंद्र अग्रवाल, प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. श्री शिरीष चंद्र अग्रवाल को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिरीष चंद्र अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुंद गजभिये, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 1-359/22-1/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (राजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

   (क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ख) **"आयोग"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

   (ग) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

   (घ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ङ) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (च) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क. एफ-8-5, पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (छ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (ज) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (झ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

   (ञ) **"चयन समिति"** से अभिप्रेत है सीधी भर्ती के लिये शासन द्वारा अनुमोदित समिति;

(ट) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (राजपत्रित) सेवा;

(ठ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.— (1)** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप—नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, आयोग के परामर्श के पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(एक) आयु– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित हों, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के

लिये भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ के स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 (छः) माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(पांच) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(च) उन अभ्यर्थियों के लिए भी, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारण करते हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 (अड़तीस) वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

टीप–(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्याग–पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) अभ्यर्थी जो उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त कर रहे हैं, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट हमेशा की तरह मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिलिखत किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत, शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु, किसी भी दशा में 45 (पैंतालीस) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं.**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिए जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) शुल्क.– (क) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– **(1)** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा चयन के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकते हों से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

– परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.–** (1) चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.–** (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय–समय पर, अवधारित करे।

(2) प्रतियोगिता परीक्षा, आयोग द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना एवं निर्देशों के अनुसार ली जाएगी, जैसा कि शासन द्वारा आयोग के परामर्श से समय–समय पर जारी किये जायें।

(3) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में

निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप–नियम (5) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(7) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद, आरक्षित रखे जायेंगे। आरक्षण, समस्तर और प्रभागवार होगा।

(8) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(9) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिक के लिये पदों को, शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षित रखे जायेंगे।

12. **आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची.–** (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, उनके (उन अभ्यर्थियों के) मेरिट क्रम में सूची, तैयार करेगा, जिसकी वैधता, शासन को नियुक्ति हेतु सूची के भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष के लिये होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। इस सूची की विधिमान्यता, इस प्रकार चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को अग्रेषित करेगा।

(5) इस नियम तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने, त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को विधिमान्य कारण दर्शाते हुए, अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि हो जाने पर, प्रतिक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि हुआ माना जायेगा।

(11) उप–नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता अवधि में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, जब तक कि शासन, वृद्धि हेतु विधिमान्य कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश नहीं करता।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः 1 (एक) वर्ष से अधिक न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.–** (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की

जानी है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण.– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) **(एक)** ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति योग्यता–सह–वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहां विचारण के लिए क्षेत्र, कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्तियों पदों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी

अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–** (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 13 एवं 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित एवं पुनर्विलोकित की जायेगी।

(4) चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, यदि सेवा के किसी सदस्य, यथास्थिति, का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

16. **आयोग से परामर्श.–** (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त ऐसे व्यक्तियों के अभिलेख, जिनका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण प्रस्तावित हैं।

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण हेतु समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की सिफारिशों पर शासन की टिप्पणी।

(2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य, जिसे अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की

कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप–नियम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

17. **चयन सूची.**– **(1)** आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि प्रतीत होता है कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है, तो सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तन से शासन को सूचित करेगा तथा यदि शासन, विचार करने के पश्चात्, कोई मत प्रकट करे, तो ऐसे उपान्तरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सूची को अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची साधारणतः इसके तैयार किये जाने तारीख से 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो

नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

19. **परिवीक्षा.**— (1) सेवा में सीधे या पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 (दो) वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 1 (एक) वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

20. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

22. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव.

अनूसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	विकास आयुक्त	01	आई.ए.एस. प्रवर श्रेणी	आई.ए.एस. वेतनमान	—	—
2.	अपर संचालक (वित्त)	06	प्रथम श्रेणी	15600—39100	7600	—
3.	संयुक्त आयुक्त	59	प्रथम श्रेणी	15600—39100	6600	—
4.	उपायुक्त	01	प्रथम श्रेणी	37400—67000	8700	—
5.	सांख्यिकी अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	15600—39100	5400	—
6.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	61	द्वितीय श्रेणी	9300—34800	4400	—
7.	विकासखण्ड अधिकारी	15	द्वितीय श्रेणी	9300—34800	4300	(डाईंग केडर)

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिये)

भरती का तरीका

स. क्र.	पद/सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा नियम 6 (1) (क) देखिये	सेवा के सदस्यों को पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख) देखिये	अन्य सेवाओं से अस्थाई स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा नियम 6 (1) (ग) देखिये	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	विकास आयुक्त	01	—	—	आई.ए.एस संवर्ग	
2	अपर संचालक (वित्त)	06	—	100%	—	—
3	संयुक्त आयुक्त	59	—	100%	—	—
4	उपायुक्त	01	—	—	100%	राज्य वित्त सेवाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा
5	सांख्यिकी अधिकारी	01	—	100%	—	—
6	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	61	75%	25%	—	—
7	विकासखण्ड अधिकारी	15	—	—	—	यह पद, डाईंग केडर घोषित है

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

स. क्र.	विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	नियुक्ति प्राधिकारी	विहित शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	21 वर्ष	30 वर्ष	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक

टीपः– उन अभ्यर्थियों के लिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची—चार
(नियम 14 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये सेवा/अनुभव की न्यूनतम अवधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उपायुक्त	5 वर्ष	संयुक्त आयुक्त	(1) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अथवा उसके द्वारा नामांकित सदस्य —अध्यक्ष (2) सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग —सद... (3) सचिव/संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग —सदस्य (4) विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग —सदस्य	
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	5 वर्ष	उपायुक्त	—तदैव—	
3.	सांख्यिकी अधिकारी	5 वर्ष	उपायुक्त	—तदैव—	
4.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5 वर्ष	सांख्यिकी अधिकारी	—तदैव—	
5.	विकासखण्ड अधिकारी	5 वर्ष	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	—तदैव—	

Raipur, the 23rd January 2014

No. F 1-359/22-1/2012.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh Panchayat and Rural Development Department (Gazetted) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.-(1)** These rules may be called the Chhattisgarh Panchayat and Rural Development Department, (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2013.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**-In these rules, unless the context otherwise require,-

   (a) **"Appointing Authority"** in respect of the service means the Government of Chhattisgarh;

   (b) **"Commission"** means the Chhattisgarh Public Service Commission;

   (c) **"Examination"** means the competitive examination held for recruitment to the service conducted under rule 11 of these rules;

(d) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;

(e) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh;

(f) **"Other Backward Classes"** means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(g) **"Schedule"** means the Schedule appended to these rules;

(h) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(i) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(j) **"Selection Committee"** means the Committee approved by the Government for direct recruitment;

(k) **"Service"** means the Chhattisgarh Panchayat and Rural Development Department (Gazetted) Service;

(l) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General

Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.-** The service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule – I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, pay-scale etc.-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule – I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment. - (1)** Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) by direct recruitment, through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) by promotion of members of the service;

(c) by transfer of persons, who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of the persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the he may, after consultation with the Commission adopt such methods of rccruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service, the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994, (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment in service.-** All appointments to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing

Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) Age – (a) The candidate must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (Five) years, if candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 (Ten) years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant of Chhattisgarh should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three

years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation -The term "Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 (six) months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 (three) years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) On fullfilling the condition of enrolment.

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Ex-servicemen/ Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short-service Regular Commissioned Officers);

(v) Ex-servicemen /Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.;

(viii) Ex-Servicemen invalidated out of service.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of 2 (two) years for those candidates who are holding green card under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple awarded under the Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 (five) years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo awards holder candidates and National Youth Award holder young candidiates;

(i) The upper age limit shall be relaxed up to 38 (thirty eight) years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The general upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 (eight) years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- (1) Candidates who are admitted to the examination/ selection under the concessions mentioned in Rule 8(d) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case shall these age limits be relaxed. The departmental candidates must obtain previous

permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(k) Candidates obtaining the benefit of relaxation in maximum age limit on the basis of their category (Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Women/ Widow/ Divorcee etc.) shall be given additional relaxation available in maximum age limit as usual. But in any case, the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 (Forty-five) years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

(II) Educational qualifications:- The candidate must possess the educational qualifications and experience prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) Fee:- (A) The Candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

(B) The Candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

Disqualifications.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means directly or indirectly may be held by the Commission to be disqualification from selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001 :

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more than two children are born, shall not be disqualified for any service or post.

10. Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.– **(1)** The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be allowed to appear in the examination/interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission/ Appointing Authority.

11. Direct Recruitment by Competitive Examination / Selection /Interview.– (1) The selection for recruitment to the service shall be held

at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) Competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with the Commission, from time to time.

(3) The selection of the candidates to the service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.

(4) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable.

(5) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(6) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes

and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (5) as the case may be.

(7) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(8) In such cases, where certain experience period has been prescribed as an essential condition for the post to filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(9) In addition to the above, posts for persons with disability and ex-servicemen shall be reserved in accordance with the directions issued by the Government, from time to time.

12. List of candidates selected by the Commission.– **(1)** The Commission shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and

the list of candidates of each category belonging to women, person with disability/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, decimal number shall be extended to the next integral number.

(4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Government for further action regarding appointment.

(5) Subject to the provisions of this rule and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry,

as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of select list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. Appointment by Promotion. – (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding 1 (one) year.

(3) Every promotion shall be as per the Chhattisgarh Public service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. Conditions of eligibility for promotion.– **(1)** Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.– The method of computation for eligibility for promotion– The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two

times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to filling up the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of 1 year.

(3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department, from time to time, shall be applicable for promotion.

15. Preparation of list of suitable candidate. – (1) The committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 13 and 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover

anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared according to the provision of Chhattisgarh Public service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.

16. Consultation with the Commission.- (1) The list prepared in accordance with rule 15 shall be sent to the Commission along with following documents:-

(i) the record of all the persons included in the list.

(ii) record of all such persons mentioned in column (2) of Schedule-IV who are proposed for supersession as recommended in the list.

(iii) recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(iv) remarks of the Government on the recommendations of the committee.

(2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

17. Select List. – (1) Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the committee, if it feel that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any change in the list received from the Government, the Commission shall inform the Government of the Changes proposed and if the Government expresses any opinion after considering it, along with such modifications, if any in its opinion that is just and proper, will approve the list.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members as mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (4) of Schedule-IV.

(4) The select list shall be ordinarily valid upto 31st December from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

18. Appointment to the Service from the select list. – (1) Appointment of the officers included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Selection Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. Probation. - (1) Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 (two) years.

(2) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a maximum of 1 (one) year.

(3) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

20. **Interpretation.** – If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

21 **Relaxation.** – Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

22. **Repeal and saving.**– **(1)** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. TANDAN, Joint Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule 5)

S. No.	Name of the posts included in the Service	Number of post	Classification	Scale of Pay	Grade Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Development Commissioner	01	I.A.S. Senior Scale	I.A.S. Scale	-	-
2.	Additional Director (Finance)	06	Class-I	15600-39100	7600	-
3.	Joint Commissioner	59	Class-I	15600-39100	6600	-
4.	Deputy Commissioner	01	Class-I	37400-67000	8700	-
5.	Statistics Officer	01	Class-II	15600-39100	5400	-
6.	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat	61	Class-II	9300-34800	4400	-
7.	Block Development Officer	15	Class-II	9300-34800	4300	dying cadre

SCHEDULE-II

(See Rule 6)

Method of Recruitment

S.No.	Name of the posts/service	Total Number of duty Post	Percentage of posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment see rule 6 (1) (a)	By promotion of service member see rule 6 (1) (b)	By temporary transfer/ deputation from other services see rule 6 (1) (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Development Commissioner	01	-	-	I.A.S. Cadre	
2.	Additional. Director (Finance)	06	-	100%	-	-
3.	Joint Commissioner	59	-	100%	-	-
4.	Deputy Commissioner	01	-	-	100 %	By deputation from State Finance Services
5.	Statistics Officer	01	-	100%	-	-
6.	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat	61	75%	25%	-	-
7.	Block Development Officer	15	-	-	-	The post declared as dying cadre

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

Age and Qualification of the person to be recruited directly

S. No.	Name of the Department	Name of Post	Minimum age limit	Maximum Age Limit	Appointing Authority	Educational Qualifications Prescribed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Department of Panchayat and Rural Development	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat	21 years	30 years	Chairman, Chhattisgarh Public Service Commission or his nominated member	Graduation from a recognized University

Note:- The upper age limit shall be relaxable for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE-IV

(See Rule 14)

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Minimum period of service/ Experience for promotion	Name of the service or post to which promotion is to be made	Member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Deputy Commissioner	5 years	Joint Commissioner	(1)Chairman, Chhattisgarh Public Service Commission or his nominated member -Chairman (2) Secretary /Special Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Panchayat and Rural Development - Member (3)Secretary/Joint Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Panchayat and Rural Development - Member (4)Development Commissioner, Government of Chhattisgarh, Department of Panchayat and Rural Development - Member	

2.	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat	5 years	Deputy Commissioner	---- do----	
3.	Statistics Officer	5 years	Deputy Commissioner	---- do----	
4.	Assistant Statistics Officer	5 years	Statistics Officer	---- do----	
5.	Block Development Officer	5years	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat	---- do----	

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 6-5/2014/वा.क.(आब.)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2011 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15,600-39100, ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (provisional) रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना जिला आबकारी अधिकारी के रूप में उनके सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाये जिले में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरित होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	श्री सौरभ बख्शी, पिता-श्री राजीव बख्शी, एम-680, पद्मनाभपुर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) पिन 491001	अनारक्षित	कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर (मुख्यालय)

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

3. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

5. अभ्यर्थी को निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

6. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ आबकारी सेवा वर्ग 1 तथा 2 भरती नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत् शासित होगा.

7. अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

8. उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सहायक आयुक्त, आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

9. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

10. चयनित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

11. चयनित आवेदक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

12. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3656 को दिनांक 11-01-2014 से 09-03-2014 (अर्थात् 02 माह) तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है:—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 7-16/2007/12.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02-01-2014 द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र (साधारण) में प्रकाशन हेतु जारी अधिसूचना का अंग्रेजी प्रति के पैरा-01 में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

अधिसूचना का अंग्रेजी प्रति के पैरा-01 में "Geographical Survey of India" के स्थान पर "Geological Survey of India" प्रतिस्थापित किया जाये.

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 1-9/2011/XII.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक J-13012/12/2013-IA-II (I), दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के परिपालन हेतु गौण खनिजों (साधारण रेत, ग्रेनाईट एवं संगमरमर को छोड़कर) के उत्खनन हेतु मायनिंग प्लान का अनुमोदन करने के लिए निम्नलिखित तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को अधिकृत करता है :—

स. क्र. (1)	कार्य/शक्तियां (2)	प्राधिकृत अधिकारी (3)
1.	गौण खनिज (साधारण रेत, ग्रेनाईट एवं संगमरमर को छोड़कर) के खनन हेतु मायनिंग प्लान का अनुमोदन.	(1) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म में पदस्थ ऐसे संयुक्त संचालक, जो भू-विज्ञान विषय के साथ स्नातकोत्तर अथवा मायनिंग इंजीनियरिंग की उपाधि धारण करते हों. (2) जिले में कार्यरत ऐसे उप संचालक/खनि अधिकारी, जो भू-विज्ञान विषय के साथ स्नातकोत्तर अथवा मायनिंग इंजीनियरिंग की उपाधि धारण करते हों.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फ़रवरी 2014

क्रमांक एफ 1-4/2008/(6) 52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) छत्तीसगढ़ (राजपत्रित) सेवा भरती नियम-2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,

अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

(सीधी भर्ती हेतु आयु तथा अर्हतायें)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्रामोद्योग विभाग छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) (राजपत्रित) सेवा द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान (प्राणीशास्त्र या वनस्पतिशास्त्र) या कृषि शास्त्र या सेरीकल्चर विषय (जीव विज्ञान/कृषि/सेरीकल्चर में बी.एस.सी.) में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि.	

टीप :— छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 1-4/2008/(6)52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-4/2008/(6)52 दिनांक 01-02-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

Raipur, the 1st February 2014

No. F-1-4/2008/(6) 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Directorate or Rural Industries (Sericulture Sector) Chhattisgarh, (Gazetted) Service, Recruitment Rule, 2010, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

For Schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-III
(See Rule 8)

(Age and qualification for direct recruitment)

S. No.	Name of Department	Name of the Posts Included in the Service	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Educational Qualification Prescribed	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Department of Rulral Industries Chhattisagrh, Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) (Gazetted) Service, Class-II.	Assistant Director	21 years	30 years	Minimum second division in graduation in Biology (Zoology or Botany) or Agriculture or Sericulture subject (B.Sc.Biology/ Agriculture/Sericulture) from recognized University.	

Note :—The Maximum age limit for domicile candidates of the State of Chhattisgarh shall be as per the directions issued by the General Administration Department from time to time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Deputy Secretary.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2014

क्रमांक/एफ-19-10/25-2/2013.—छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्र. 31 सन् 2013) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 14 अगस्त, 2013 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2014

क्रमांक/एफ-19-10/25-2/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 31 सन् 2013) की प्रवृत्त होने संबंधी अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

Raipur, the 25th February 2014

No. F-19-10/25-2/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Chhattisgarh Rajya Alpsankhyak Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (No. 31 of 2013), the State Government, hereby, appoints the 14th day of August, 2013 as the date on which the said adhiniyam shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL CHOUDHARY, Deputy Secretary.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2014

क्रमांक/887/एफ-04/01/2010/14-2.—राज्य शासन द्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3632/एफ-04/01/14-2 दिनांक 24-08-2013 द्वारा कई मण्डियों के क्षेत्र में एक से अधिक जिला, तहसील आने से मण्डी समितियों के क्षेत्र सीमा परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण संबंधित कार्यवाही किये जाने पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होने के फलस्वरूप घोषित कृषि उपज मण्डी समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष 2010-11 अनुसार कार्यवाही संपन्न कराया जाना संभव न हो पाने के कारण घोषित निर्वाचन कार्यक्रम 2010-11 को 06 माह के लिए मुल्तवी किया गया था. मण्डी अधिनियम में हुए संशोधन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम 1997 में संशोधन तथा मण्डी समितियों के मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण समय-समय पर अधिसूचना जारी कर मण्डी निर्वाचन को 06-06 माह के लिए मुल्तवी किया गया है, विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 3632 रायपुर दिनांक 24-08-2013 द्वारा मण्डी निर्वाचन को 06 माह के लिये मुल्तवी किया गया है.

वर्तमान में भी मण्डी समिति के क्षेत्र सीमा तथा नवगठित जिलों के परिसीमन एवं परिवर्तन के कारण मण्डी समितियों के क्षेत्र परिवर्तन/युक्तियुक्तकरण संबंधित कार्यवाही, एवं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति के निर्वाचन हेतु छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम 1997 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. अत: उक्त निर्वाचन की कार्यवाही का लगभग 06 माह के लिए मुल्तवी किया जाना आवश्यक है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 "क" की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के निर्वाचन को दिनांक 24-02-2014 से 06 माह की अवधि के लिए मुल्तवी करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 8-21/2005/10-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-02-2006 को अधिक्रमित करते हुए, जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 (वर्ष 2003 का क्र. 18) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड" का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

1. **अध्यक्ष**

मानलीय वनमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन — अध्यक्ष

2. **पदेन/शासकीय सदस्य**

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग — सदस्य
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण), छत्तीसगढ़ — सदस्य
(3) संचालक, कृषि, छत्तीसगढ़ — सदस्य
(4) संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् — सदस्य

3. **विशेषज्ञ/अशासकीय सदस्य**

(1) कुलपति, इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर — सदस्य
(2) श्री अरुण मृदुल कुमार भरोस, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाईफ सोसायटी, बी-101, गायत्री नगर, रायपुर. — सदस्य
(3) प्रोफेसर एम.एल. नायक, पूर्व विभागाध्यक्ष (स्कूल ऑफ लाईफ लाइंसेंस), पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर. — सदस्य
(4) श्री रजनीश अवस्थी, रायपुर — सदस्य
(5) श्री सुबोध पाण्डेय, रायपुर — सदस्य
(6) श्री पारसनाथ रोहित, बलरामपुर — सदस्य

सदस्य सचिव

राज्य शासन द्वारा नियुक्त/नामांकित वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का प्रधान कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय अरण्य भवन, छत्तीसगढ़ रायपुर में रहेगा.

No. F-8-21/2005/10-2.—The State Government hereby in supersession of the notification dated 16/02/2006 and in exercise of the powers, conferred by Section 22 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) re-constitute the Chhattisgarh Biodiversity Board as follows :—

I. **Chairperson:**

i. Hon'ble Forest Minister, Government of Chhattisgarh — Chairman

II. **Ex-officio/Official Members:**

(1) Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Deptt. of Forests. — Member
(2) Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife & Bio-diversity Conservation), Chhattisgarh. — Member
(3) Director, Agriculture, Chhattisgarh — Member
(4) Director, Chhattisgarh State Council of Science and Technology — Member

III. **Expert/Non-Official Members :**

(1) Vice-Chancellor, Indira Gandhi Agriculture University, Raipur — Member
(2) Shri Arun Mridul Kumar Bharos, Chairman, Chhattisgarh Wildlife Society, B-101, Gayatri Nagar, Raipur. — Member

(3)	Prof. M. L. Nayak, Former H.O.D. (School of Life Sciences) P.T. Ravisanker University, Raipur.	—	Member
(4)	Shri Rajnish Awasthi, Raipur	—	Member
(5)	Shri Subodh Pandey, Raipur	—	Member
(6)	Shri Parasnath Rohit, Balrampur	—	Member

Member Secretary :

.	Addl. Principal Chief Conservator of Forests, appointed/nominated by the State Government.	—	Member Secretary

Chhattisgarh Biodiversity Board head office shall be at Principal Chief Conservator of Forests, Aranya Bhawan, Chhattisgarh Raipur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 01 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 7-04/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 13-9-2013 द्वारा नया रायपुर विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

नया रायपुर विकास योजना 2031 की कंडिका 18.5 में स्वीकार्य उपयोग की

सारणी क्रमांक 18.1 "Table 18-1 : Land Use Permissibility in different Use Zones" में उपांतरण

The following is inserted at serial No. 98 of the table No. 18.1, namely :—

S. No.	Land Uses 1.8	R	CR	CW	I	SI	P	T	Re	U	CU	Ru	A
98	Integrated town ship											◐	

2. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा नया रायपुर विकास योजना, 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण नया रायपुर विकास योजना, 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

रा.प्र.क्र. 1 अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	नमदगिरी	1.64	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, सूरजपुर.	रिंग रोड हेतु प्रस्तावित

भूमि के नक्शे (प्लान) अंनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

रा.प्र.क्र. 2 अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	पर्री	2.73	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, सूरजपुर.	रिंग रोड हेतु प्रस्तावित

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

रा.प्र.क्र. 3 अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	पतरापारा	0.96	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, सूरजपुर.	रिंग रोड हेतु प्रस्तावित

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

रा.प्र.क्र. 4 अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	महगवां	2.56	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, सूरजपुर.	रिंग रोड हेतु प्रस्तावित

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

रा.प्र.क्र. 5 अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	सूरजपुर	5.65	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, सूरजपुर.	रिंग रोड हेतु प्रस्तावित

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

रा.प्र.क्र. 6 अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	चन्दरपुर	5.64	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, सूरजपुर.	रिंग रोड हेतु प्रस्तावित

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

रा.प्र.क्र. 7 अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	देवीपुर	3.63	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, सूरजपुर.	रिंग रोड हेतु प्रस्तावित

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

रा.प्र.क्र. 8 अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	तिलसिवां	3.88	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, सूरजपुर.	रिंग रोड हेतु प्रस्तावित

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

रा.प्र.क्र. 9 अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	मानपुर	3.11	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, सूरजपुर.	रिंग रोड हेतु प्रस्तावित

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	बहलीडीह प.ह.नं. 34	0.897	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	तौसीर लेन्ध्रा मार्ग के कि.मी. 2/6 पर किंकारी नाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग.

कोरिया, दिनांक 25 फरवरी 2014

क्रमांक 1627/भू-अर्जन/कोरिया.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-सोनहत
- (ग) नगर/ग्राम-किशोरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
23/1	0.12
32/495	0.71
26	0.33
41	0.24
28	0.03
29	0.40
30	0.02
43	2.14
32/1	2.40
39	0.84
40	0.42
49	0.10
68	0.10
77	0.04
85	0.05
74	0.09
86	0.03
73	0.13
19	0.31
98	0.17
100	0.02
95	0.04
119	0.09
योग	8.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किशोरी जलाशय सिंचाई योजना के बांध, नहर बेस्टबियर एवं डोमान निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनहत के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्रमांक 5/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-बढ़ावनडांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-22.94 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
202	0.27
399/1	0.03
358/4	1.13
197/2	0.36
199/2	0.03
238/2घ	0.22
358/9	0.58

(1)	(2)
355/1	0.79
231/4	0.46
238/2ग	0.32
346/1	0.24
318/1	0.29
319/1	0.24
320	0.07
321	0.53
355/3	0.78
401/1	0.14
240	0.73
196/2	0.16
196/1	0.16
399/2	0.03
205/6	0.66
360/2	0.20
356/2	0.70
358/11	0.55
182/2	0.40
199/1	0.04
358/5	0.50
402	0.28
403/1	0.49
407	0.10
330/1ड	0.10
343/12	0.15
450/1	0.60
358/10	0.55
359	0.89
405	0.28
239	0.07
331/1	0.11
353/1	2.61
343/31	0.63
238/2ख	0.33
350/2	0.61
197/1	0.37
406/2	0.37
330/1ण/4	0.28
330/15	0.50
343/35	0.83
343/36	0.49
330/1श	0.23
343/40	0.21
343/4	0.49
343/32	0.17
330/1ज/2	0.11
343/2	0.21
343/34	0.28
योग 53	22.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनकछार जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्रमांक 6/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-ठेंगाडांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.54 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1/1घ/2	0.19
1/4ग	0.32
1/1म	0.19
1/1ण/1	0.66
1/4क	1.18
1/4ख	0.32
1/1घ	0.68
3/6	0.03
5/1	0.51
1/1द/9, 1/1द/10	0.58
4/10	0.34
4/11	0.36
71/1ज	0.33

(1)	(2)
3/10	0.23
3/8	0.20
1/1ड	1.05
4/2, 4/4	0.37
योग 16	7.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनकछार जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्रमांक 7/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-गौरखेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.08 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
295	0.78
298	0.26
292	0.32
296	0.43
301	0.05
297	0.53
293	0.24
300	1.61
45	0.32
294	0.18
299	1.48
303	0.23
302	0.95
32	0.35
291	0.35
योग 15	8.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनकछार जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 17 फरवरी 2014

क्रमांक 12/अ-82/12-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-धूमा (साल्हेडबरी), प.ह.नं. 9/26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.82 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
90	0.17
92/2	0.12
103	0.07
102	0.22
100	0.21
129/2, 130	0.32
132	0.15

(1)	(2)
131/2	0.15
136	0.04
150	0.04
137	0.22
148, 149	0.12
151	0.29
147/1	0.28
147/2	0.10
196	0.17
218/2	0.21
218/1	0.06
216/1	0.14
209	0.45
208/1, 217/1	0.01
210/1	0.75
264/3, 264/4	0.07
263	0.40
265/1	0.10
264/5	0.11
265/2	0.08
262/1	0.07
266	0.51
267/1	0.14
101	0.02
97, 98, 99	0.02
138	0.01
योग 39	5.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साल्हेडबरी जलाशय के बैंगापारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 फरवरी 2014

क्रमांक 28/अ-82/11-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
   (ख) तहसील-तखतपुर
   (ग) नगर/ग्राम-भकुर्रा नवापारा, प.ह.नं. 18
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
505/1	0.50
योग	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-समडील एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2014

क्रमांक गन्ना/आरक्षण/2013-14/182.—मैं देवेन्द्र सिंह, गन्ना आयुक्त छत्तीसगढ़, गन्ना अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता प्रतापपुर जिला सूरजपुर के लिये गन्ना पेराई वर्ष 2013-14 के निम्न

क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना क्षेत्र आरक्षित घोषित करता हूं यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा :—

क्रमांक (1)	क्रय केन्द्र का नाम (2)	विकासखंड का नाम (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र हेक्टेयर में (5)
1.	कारखाना गेट	प्रतापपुर	56	1507.631
		राजपुर	24	1071:797
		सूरजपुर	44	1077.617
		अंबिकापुर	17	98.169
		लखनपुर	13	20.804
		शंकरगढ़	3	9.5352
		योग	**157**	**3785.553**
2.	रघुनाथपुर	लुण्ड्रा	59	1247.736
		बतौली	35	620.053
		सीतापुर	23	281.523
		मैनापाठ	3	31.736
		योग	**120**	**2181.048**
3.	खजूरी (पंपापुर)	अंबिकापुर	9	82.646
		बतौली	3	15.324
		योग	**12**	**97.97**
		महायोग	**289**	**6064.571**

यह आदेश जब तक कि इस हेतु समपरिवर्तित या अपरिवर्तित आदेश प्रसारित नहीं किये जाये तब तक गन्ना पेराई **वर्ष 2013-14** में प्रभावशील रहेगा.

देवेन्द्र सिंह,
गन्ना आयुक्त.

विकासखण्ड वार क्रय केन्द्र अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

पेराई सत्र 2013-14

क्र.	गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	गन्ना क्षेत्रफल (हे.) में		
					पेड़ी	पौधा	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कारखाना गेट	प्रतापपुर	1. खड़गवांकला	7	86.672	151.654	238.326
			2. केरता	2	21.135	67.891	89.026
			3. जगन्नाथपुर	4	0.587	6.266	6.853
			4. मानपुर	5	1.183	1.155	2.338

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5. माड़ीडांड़	20	6.787	18.105	24.892
			6. धरमपुर	6	1.554	18.895	20.449
			7. मदननगर	10	0.313	5.825	6.138
			8. गुडरूडांड	12	0.542	2.32	2.862
			9. बैकोना	21	28.449	22.429	50.878
			10. करसी	26	10.342	20.314	30.656
			11. टुकूडांड	15	18.23	39.143	57.373
			12. खजुरी	21	4.686	4.196	8.882
			13. रामपुर	17	6.056	4.192	10.248
			14. सेमई	20	3.073	11.799	14.872
			15. मायापुर-1	20	2.755	5.055	7.81
			16. बरौल	17	0.300	0.205	0.5050
			17. सौतार	22	1.052	3.499	4.551
			18. सेमराकला	21	7.926	6.479	14.405
			19. प्रतापपुर	15	1.831	1.081	2.912
			20. केवरा	37	0.792	3.416	4.208
			21. दरहोरा	27	0.245	5.153	5.398
			22. चंद्रेली	23	1.333	17.715	19.048
			23. रमगवां	20	2.542	2.707	5.249
			24. हरिहरपुर	37	0.689	0.000	0.689
			25. सोनपुर	24	1.981	7.149	9.130
			26. खैराडीह	22	1.427	2.332	3.759
			27. सिलौटा	23	4.513	3.849	8.362
			28. दुरती	51	3.049	10.737	13.786
			29. सेधोपारा	35	1.187	6.405	7.592
			30. चांचीडांड़	16	8.87	21.581	30.451
			31. कैराडांड़	19	4.624	11.042	15.666
			32. गणेशपुर	11	3.107	9.645	12.752
			33. सिंघरा	21	9.379	38.567	47.946
			34. नवाडिह	22	0.000	3.284	3.284
			35. पोड़िपा	23	0.000	2.048	2.0480
			36. मसगा	23	0.000	3.080	3.080
			37. चंदोरा	26	1.684	1.986	3.670
			38. मकनपुर	24	0.000	3.388	3.3880
			39. गोटगवां	13	0.000	1.01	1.0100
			40. कनकनगर	14	2.139	3.821	5.9600
			41. सोनगरा	24	79.065	102.555	181.62
			42. शंकरपुर	41	7.001	14.559	21.56
			43. श्यामनगर	28	2.116	3.118	5.234
			44. सकलपुर	38	8.883	16.561	25.444
			45. झिंगादोहर	28	0.401	5.125	5.526
			46. मायापुर-2	24	3.856	11.54	15.396
			47. सुखदेवपुर	13	18.52	32.018	50.538
			48. चन्दरपुर	11	2.447	8.48	10.927
			49. सिलफिली	21	14.367	19.791	34.1580
			50. बोझा	22	25.272	36.569	61.841
			51. पल्ढ़ा	18	7.810	31.285	39.095

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			52. पम्पापुर	2	1.615	4.729	6.344
			53. कोटेया	16	15.373	68.33	83.703
			54. गौरा	12	20.349	48.405	68.754
			55. बगड़ा	19	18.583	29.365	47.948
			56. भरदा	18	16.32	32.771	49.091
				योग	**493.01**	**1014.619**	**1507.63**
2.	कारखाना गेट	अम्बिकापुर	1. रूखपुर	25	10.970	12.463	23.433
			2. घघरी	26	0.880	1.334	2.214
			3. कंचनपुर	30	7.100	6.775	13.875
			4. भफौली	42	4.642	5.237	9.879
			5. करम्हा	75	6.254	0.971	7.225
			6. हंसुली	39	1.166	0.000	1.166
			7. परसा	40	3.728	0.373	4.101
			8. भकुरा नवापारा	30	0.352	0.954	1.306
			9. सकालो	20	1.024	2.308	3.332
			10. सरगवां	21	3.213	0.000	3.213
			11. किशुन नगर	23	1.017	1.490	2.507
			12. कुल्हाडी	27	0.505	3.593	4.098
			13. बलसेडी	25	12.041	5.593	17.634
			14. खलीबा	30	0.000	1.236	1.236
			15. मेन्ड्राखुर्द	35	0.128	0.561	0.689
			16. भगवानपुर	40	0.989	0.000	0.989
			17. नर्वदापारा	20	0.377	0.895	1.272
				योग	**54.386**	**43.783**	**98.169**
3.	कारखाना गेट	सूरजपुर	1. कल्याणपुर	13	84.801	80.666	165.467
			2. अखोराकला	23	34.587	30.775	65.362
			3. मजीरा	20	36.198	51.266	87.464
			4. पोड़िपा	15	23.100	31.145	54.245
			5. सुंदरगंज	18	50.602	47.674	98.276
			6. मोहनपुर	25	8.725	16.127	24.852
			7. छत्तरपुर	13	19.280	15.458	34.738
			8. रामेश्वरपुर	10	35.989	21.023	57.012
			9. लटोरी	27	9.501	22.068	31.569
			10. सोनवाही	32	3.600	5.284	8.884
			11. रमेशपुर	41	3.188	10.694	13.882
			12. सम्बलपुर	35	5.483	4.941	10.424
			13. बिहारपुर	40	6.596	17.956	24.552
			14. जुड़वानी	37	5.355	8.049	13.404
			15. कुरवां	34	0.402	0.886	1.288
			16. तुलसी	35	35.450	48.031	83.481
			17. गंगापुर	34	5.450	13.951	19.401
			18. हीराडबरी	30	0.420	2.633	3.053
			19. अनुजनगर	32	1.643	9.279	10.922

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			20. अजबनगर	39	0.630	0.979	1.609
			21. महेशपुर	30	1.657	3.885	5.542
			22. चम्पक नगर	75	1.674	2.673	4.347
			23. करंजी	43	1.591	2.365	3.956
			24. रैन	39	0.779	0.318	1.097
			25. करसू	38	0.509	0.606	1.115
			26. बतरा	43	0.587	1.243	1.830
			27. कसलगिरी	31	1.537	2.298	3.835
			28. परमेश्वरपुर	36	0.274	0.927	1.201
			29. द्वारिकानगर	30	8.943	25.897	34.840
			30. गटगांव	12	0.499	2.049	2.548
			31. गजधारपुर	35	0.000	0.203	0.203
			32. लावाडीह	47	0.540	1.125	1.665
			33. कसकेला	38	0.785	1.318	2.103
			34. नारायणपुर	40	0.537	1.278	1.815
			35. रामनगर	55	0.603	1.042	1.645
			36. करवां	59	3.019	15.103	18.122
			37. कन्दरई	52	0.701	1.079	1.780
			38. नरेशपुर	25	9.695	13.330	23.025
			39. जगतपुर	39	4.859	5.634	10.493
			40. महावीरपुर	36	0.554	0.951	1.505
			41. बृजनगर	22	7.790	10.533	18.323
			42. हरिपुर	21	28.408	45.142	73.550
			43. पाठकपुर	19	27.354	25.570	52.924
			44. कनकपुर	37	0.000	0.268	0.268
				कुल योग	**473.895**	**603.722**	**1077.617**
4.	कारखाना गेट	राजपुर	1. चौरा	23	16.929	30.406	47.335
			2. दुप्पी	25	20.755	32.142	52.797
			3. नरसिंहपुर	54	21.650	68.227	89.877
			4. मरकाडांड	12	11.626	18.584	30.210
			5. धंधापुर	20	50.207	94.251	144.458
			6. रेवतपुर	15	51.578	112.493	164.071
			7. परसवार	15	5.187	10.715	15.902
			8. खोखनियां	12	42.595	35.989	78.584
			9. चिलमाकला	53	0.725	1.988	2.713
			10. परसागुड़ी	59	0.191	2.136	2.327
			11. ओकरा	66	0.939	1.483	2.422
			12. अखोराखुर्द	21	36.361	32.245	68.606
			13. सिधमा	49	9.205	11.155	20.360
			14. बदौली	20	57.993	51.930	109.923
			15. कुन्दीकला	54	36.500	24.566	61.066
			16. मदनेश्वरपुर	33	3.102	5.967	9.069
			17. ककना	44	1.722	2.142	3.864
			18. शिवपुर	19	16.374	10.716	27.090
			19. खोरडो	21	25.620	38.836	64.456

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			20. खुखरी	22	32.492	31.511	64.003
			21. डकवा	19	2.734	2.208	4.942
			22. भिलाईखुर्द	31	2.482	3.025	5.507
			23. बघिमा	49	0.848	0.211	1.059
			24. कर्रा	42	0.452	0.604	1.056
				कुल योग	448.267	623.530	1071.797
5.	कारखाना गेट	लखनपुर	1. तुनगुरी	55	0.000	0.400	0.400
			2. बिनकरा	56	0.200	0.400	0.600
			3. गुमगराखुर्द	61	0.000	0.800	0.800
			4. कंचनपुर	58	1.400	1.200	2.600
			5. कटिन्दा	58	0.200	1.700	1.900
			6. लटोरी	61	0.400	0.600	1.000
			7. लोसंगी	60	0.000	1.500	1.500
			8. लोसगा	60	0.000	1.000	1.000
			9. मुकुन्दपुर	42	0.200	3.200	3.400
			10. परसोडीकला	64	0.400	1.600	2.000
			11. सिंगीटाना	40	0.000	2.604	2.604
			12. उमरौली	68	0.400	1.200	1.600
			13. गुमराकला	59	0.600	0.800	1.400
				कुल योग	3.800	17.004	20.804
6.	कारखाना गेट	शंकरगढ़	1. डीपाडीह	80	0.3096	2.8745	3.1841
			2. घुघरीकला	85	0.0000	6.2215	6.2215
			3. सरईडीह	90	0.1296	0.000	0.1296
				कुल योग	0.4392	9.096	9.5352
	रघुनाथपुर	लुण्ड्रा	1. उदारी	58	60.693	31.74	92.433
			2. कुन्दीकला	61	0.912	0.401	1.313
			3. बुलगा	53	38.804	22.303	61.107
			4. बटवाही	51	30.358	27.924	58.282
			5. दोरना	59	23.019	15.964	38.983
			6. डहौली	84	13.115	9.818	22.933
			7. चलगली (खालपोड़ी)	69	6.490	7.475	13.965
			8. बटगरी	65	1.501	0.881	2.382
			9. बकनाकला	62	4.090	4.859	8.949
			10. सेमरडीह	66	1.163	1.744	2.907
			11. खालपोड़ी	61	24.733	23.353	48.086
			12. डड़गांव	58	44.514	22.173	66.687
			13. [illegible]	57	2.104	0.000	2.104
			14. पटना	66	11.716	9.535	21.251
			15. खुन्डीह	71	0.000	4.598	4.598
			16. नवडीह	69	9.479	4.955	14.434
			17. कोरंधा	75	0.000	1.569	1.569

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			18. कोयलारी	76	4.279	0.436	4.715
			19. बरकोल	74	1.892	0.000	1.892
			20. गगौली	74	0.977	2.173	3.150
			21. करगीडीह	62	9.679	7.231	16.910
			22. किरकिमा	84	3.557	5.716	9.273
			23. घघरी	77	4.959	4.989	9.948
			24. गुजरवार	76	8.365	5.440	13.805
			25. डुमकी	79	13.447	8.619	22.066
			26. चितरपुर	83	0.753	0.493	1.246
			27. सहनपुर	87	16.730	9.769	26.499
			28. पसेना	78	33.190	15.949	49.139
			29. करौली	69	14.905	6.395	21.300
			30. चलगली (किरकिमा)	65	2.384	1.662	4.0460
			31. पड़ौली	83	10.211	5.064	15.275
			32. अगासी	70	12.685	2.803	15.488
			33. बतौली	36	2.765	0.867	3.632
			34. जमीरा	68	2.833	1.777	4.610
			35. नागम	80	9.241	1.598	10.839
			36. सखोली	79	3.623	2.160	5.783
			37. लमगांव	52	58.929	41.567	100.496
			38. सिलसिला	55	40.900	6.782	47.682
			39. कोट	50	2.371	12.047	14.418
			40. राई	77	14.590	5.868	20.458
			41. चोरकीडीह	64	33.543	10.765	44.308
			42. जरहाडीह	72	52.814	24.766	77.580
			43. ऊंचडीह	61	1.233	2.090	3.323
			44. असकला	62	2.534	7.857	10.391
			45. झेराडीह	61	0.330	4.685	5.015
			46. बरगीडीह	70	10.181	5.746	15.927
			47. तुरियाबीरा	57	4.718	5.319	10.037
			48. महोरा	84	46.962	38.502	85.464
			49. ससोली	62	5.802	3.651	9.453
			50. लुण्ड्रा	65	4.301	0.807	5.108
			51. करेसर	64	3.584	3.311	6.895
			52. अमगांव	62	10.102	3.982	14.084
			53. छेरमुण्डा	80	5.730	4.235	9.965
			54. देवरी	67	14.393	12.186	26.579
			55. बहेराडीह	61	11.495	3.420	14.915
			56. गंगापुर	48	0.000	4.839	4.839
			57. ककनी	79	7.342	6.362	13.704
			58. पुरकेला	49	0.00	1.869	1.869
			59. सिकिलमा	49	1.851	1.776	3.627
				कुल योग	**762.871**	**484.865**	**1247.736**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	रघुनाथपुर	मैनपाठ	1. चिड़ापारा	103	7.386	4.598	11.984
			2. कतकालो	98	10.05	4.107	14.157
			3. खड़गांव	93	3.759	1.836	5.595
				कुल योग	**21.195**	**10.541**	**31.736**
8.	रघुनाथपुर	बतौली	1. सरमना	79	21.843	29.546	51.389
			2. तेलईधार	93	3.224	6.407	9.631
			3. महेशपुर	83	3.405	6.842	10.247
			4. जरहाडीह	72	4.887	5.462	10.349
			5. तरागी/बोदा	80	12.579	16.765	29.344
			6. मंगारी	70	33.474	37.069	70.543
			7. टिरंग	72	2.248	3.228	5.476
			8. कच्छारडीह	72	4.129	5.811	9.940
			9. नयाबांध	85	12.523	22.820	35.343
			10. बिरिमकेला	87	4.213	8.908	13.121
			11. कुड़केल	74	3.144	8.227	11.371
			12. सल्याडीह	69	5.549	9.892	15.441
			13. बांसाझाल	78	1.731	1.360	3.091
			14. बिशुनपुर	77	1.219	0.213	1.432
			15. सुवारपारा	67	1.682	10.536	12.218
			16. सेदम	74	1.659	2.973	4.632
			17. बटईकेला	77	2.257	4.506	6.763
			18. पोकसरी	73	1.183	0.430	1.613
			19. कपाटबहरी	74	2.509	2.345	4.854
			20. झरगांव	56	4.285	7.308	11.593
			21. पथरई	68	7.849	11.780	19.629
			22. बासेन	66	1.850	3.304	5.154
			23. बतौली	60	8.608	12.430	21.038
			24. देवरी	67	30.517	32.417	62.934
			25. शिवपुर	68	8.431	9.695	18.126
			26. पोपरंगा	63	9.139	10.901	20.040
			27. सिलमा	68	13.390	21.568	34.958
			28. घोघरा	66	10.446	15.925	26.371
			29. मानपुर	68	3.435	5.155	8.590
			30. टेडगा	62	6.384	9.442	15.826
			31. कुनकुरी	62	0.474	0.629	1.103
			32. करदना	74	0.720	3.590	4.310
			33. बिलासपुर	65	5.767	11.018	16.785
			34. गहिला	83	9.923	13.232	23.155
			35. बेलकोटा	53	11.215	12.428	23.643
				कुल योग	**255.891**	**364.162**	**620.053**
9.	रघुनाथपुर	सीतापुर	1. बनेया	95	3.582	3.286	6.868
			2. भवराडांड़	81	1.029	2.654	3.683
			3. भिठवा	89	22.332	21.886	44.218

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4. भूसु	90	4.127	5.787	9.914
			5. चलता	90	3.128	0.920	4.048
			6. धरमपुर	90	0.848	0.768	1.616
			7. देवगढ़	81	2.111	0.120	2.231
			8. ढेकीडोली	82	1.765	2.479	4.244
			9. गुतुरमा	93	9.093	5.378	14.471
			10. हर्राटिकरा	90	15.572	4.969	20.541
			11. केसला	91	0.952	0.325	1.277
			12. नावापारा	99	3.412	0.000	3.412
			13. पेटला	97	3.115	1.021	4.136
			14. प्रतापगढ़	91	8.379	15.796	24.175
			15. राधापुर	91	8.269	9.879	18.148
			16. रजौटी	100	4.822	1.105	5.927
			17. रजपुरी	95	4.040	4.409	8.449
			18. सहनपुर	90	4.252	3.687	7.939
			19. सुर	88	11.135	0.270	11.405
			20. उलकिया	91	33.555	39.385	72.940
			21. परसा	85	1.255	2.118	3.373
			22. बेलजोरा	90	0.690	0.105	0.795
			23. लिचिरमा	100	1.377	6.336	7.713
				कुल योग	**148.840**	**132.683**	**281.523**
1.	खजुरी (पंपापुर)	अम्बिकापुर	1. नवापारा कला	52	2.834	4.068	6.902
			2. पाटीपारा (कर्रा)	68	2.512	7.318	9.830
			3. ससकालो	50	1.865	0.164	2.029
			4. पम्पापुर	58	5.230	3.945	9.175
			5. खजुरी	50	12.791	23.873	36.664
			6. महादेव टिकरा	53	8.197	3.201	11.398
			7. नवापारा खास	60	1.677	2.669	4.346
			8. डावरडांड	51	0.422	1.451	1.873
			9. छिन्दकालो	44	0.000	0.429	0.429
				योग	**35.528**	**47.118**	**82.646**
2.	खजुरी (पंपापुर)	बतौली	1. चिरगा	69	3.130	6.597	9.727
			2. माजा	56	1.319	2.472	3.791
			3. उमापुर	58	0.746	1.060	1.806
				योग	**5.195**	**10.129**	**15.324**
				कुल योग	**40.723**	**57.247**	**97.970**

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 24th January 2014

No. 560/L.G./2014/II-2-11/2008.—Shri Anand Kumar Dhruw, Judge, Family Court, Korba is hereby, granted commuted leave for 06 days from 31-12-2013 to 05-01-2014.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dhruw, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 290 days of half pay leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 24th January 2014

No. 561/L.G./2014/II-3-04/2008.—Shri Neelam Chand Sankhla, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 01 day on 01-01-2014 in continuation of winter vacation from 23-12-2013 to 31-12-2013 along with permission to remain out of headquarters from 01-01-2014 till 07-01-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sankhla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 209 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 24th January 2014

No. 562/L.G./2014/II-2-9/2005.—Smt. Anita Jha, District & Sessions Judge, Surguja at Ambikapur is hereby, granted earned leave for 13 days from 23-12-2013 to 04-01-2014 along with permission to leave headquarters during the said period.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Jha, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 229 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 10th February 2014

No. 564/L.G./2014/II-2-17/2006.—Shri A. L. Joshi, Judge, Family Court, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 03 days from 29-01-2014 to 31-01-2014 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Joshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+04 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN).

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2014

क्रमांक 22/दो-3-14/2003.— श्री राकेश बिहारी घोरे, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दुर्ग (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-12-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.